© INTERNATIONAL JOURNAL FOR RESEARCH PUBLICATION & SEMINAR
ISSN: 2278-6848 | Volume: 06 Issue: 01 | March – April 2015

नारी सशक्तिकरण की चुनौतियां : एक विश्लेषण

डा0 लता कुमार

रीडर – समाजशास्त्र
शहीद मंगल पाण्डे राजकीय महिला महाविद्यालय, मेरठ

सारांश

नारी सशक्तिकरण की अवधारणा बहुत पुरानी नहीं है। सरकारीतंत्र में तो नारी सशक्तिकरण शब्द का प्रयोग कुछ वर्षों पूर्व ही हुआ है। इससे पहले 'नारी उत्थान', 'नारी कल्याण' और 'नारी सहभाग' जैसे शब्द ही प्रचलित रहे हैं। नारी की स्थिति में सुधार हेतु निर्मित अनेक कानूनों और आंदोलनों के बाद भी नारी को सशक्त और अधिकार सम्पन्न बनाने के विचार बहुत पुराने नहीं है। भारतीय संविधान में पुरुषों व महिलाओं को समान दर्जा और अधिकार, महिला दिवस, महिला दशक, राष्ट्रीय महिला आयोग और पंचायतों में महिला आरक्षण के बाद 'राष्ट्रीय महिला शक्ति संपन्नता नीति 2001 को नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रुप में देखा जा सकता है।

नारी सशक्तिकरण के ये तमाम कार्यक्रम व प्रयत्न सैद्धांतिक रुप में तो नारी सशक्तिकरण की उद्घोषणा करते प्रतीत होते हैं और इनके परिणामस्वरुप महिलाओं की स्थिति में व्यापक परिवर्तन भी देखे जा सकते हैं। बावजूद इसके इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि विकास और सामाजिक स्तर की दृष्टि से महिलाएं अभी पुरुषों से काफी पीछे हैं और आज भी कमजोर वर्गों में शामिल हैं। अनेकानेक कानूनों और अधिकारिता के बाद भी नारी के प्रति हिंसा और उत्पीड़न अभी थमा नहीं है, वरन् उसके आयामों, स्वरुपों व मात्रा में वृद्धि ही हुई है, समाज में उसकी दोयम स्थिति व सामाजिक स्वीकार्यता के संदर्भ अभी बदले नहीं हैं, घर से बाहर निकलने पर भी घर के भीतर उसके उत्तरदायित्व विभाजित नहीं हुए हैं और व्यापक राजनीतिक व सामाजिक अधिकार अभी उसकी पहुंच से बहुत दूर हैं। इसके साथ और भी अनेक ऐसे संदर्भ हैं जो नारी सशक्तिकरण के लक्ष्य के प्रश्नचिह्न बने हुए हैं।

स्पष्ट है कि नारी सशक्तिकरण की प्रक्रिया निर्बाध नहीं है। अनेकानेक **अवरोध और चुनौतियां** कभी इसकी गति को विराम देती हैं तो कभी लक्ष्य से विमुख करती हैं। प्रस्तुत प्रपत्र इन अवरोधों व चुनौतियों को नारी के विभिन्न अधिकारों, सामाजिक विसंगतियों, उत्पीड़न के संदर्भों, नारीगत विशिष्टताओं तथा सांस्कृतिक रुढ़ियों और निषिद्धताओं के संदर्भ में परखने का एक प्रयास है जिन्हें उपलब्ध द्वैतीयक तथ्यों तथा दैनिक समाचार–पत्रों में प्रकाशित विभिन्न सामाजिक घटनाओं के माध्यम से विवेचित किया जाना है।

नारी सशक्तिकरण बोध कराता है एक प्रक्रिया का, जिसमें हम कह सकते हैं कि नारी जो पहले सशक्त नहीं थी, अबला थी, कमजोर थी, को अब सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यानि अब यह सोचा जा रहा है कि नारी को सशक्त बनाया जाना चाहिए। सशक्तिकरण की यह प्रक्रिया न केवल उसे कमजोरी से उबारने का प्रयास है वरन् यह ये भी इंगित करता है कि वास्तव में नारी कमजोर तो नहीं थी लेकिन उसे कमजोर बना कर रखा गया। जैसा कि प्रसिद्ध महिलावादी विचारक **सीमोन द बोउवा** भी कहती हैं कि ''स्त्री 'अन्या' है अर्थात वह अपने बारे में न विचार कर सकती है, न निर्णय ले सकती है, वह वही बनेगी और बन सकती है, जैसा पुरुष उसको आदेश देगा। वह पुरुष के संदर्भ में ही परिभाषित और विभेदित की जा सकती है। वह अनिवार्य नहीं वरन् उद्देश्यपूर्ण है।'' यही कारण है कि महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु जोर–शोर से नीतियां बनाने की घोषणा करने वाले नीति–निर्माणक नीतियों के निर्माण

के अधिकार को महिलाओं के हाथों में देने से घबराते हैं। फलस्वरुप संसद और विधायिकाओं में महिला आरक्षण का मुद्दा जस का तस है। और जहां पंचायतों व निकायों में महिलाओं को आरक्षण दिया भी गया है, वहां महिलाओं की सक्रियता और अधिकारिता का सच भी छुपा हुआ नहीं है। यानि सशक्तिकरण भी उतना ही जितना कि पुरुष चाहे।

वस्तुतः नारी सशक्तिकरण की अवधारणा बहुत पुरानी नहीं है। सरकारीतंत्र में तो नारी सशक्तिकरण शब्द का प्रयोग कुछ वर्षों पूर्व ही हुआ है। इससे पहले 'नारी उत्थान', 'नारी कल्याण' और 'नारी सहभाग' जैसे शब्द ही प्रचलित रहे हैं। नारी की स्थिति में सुधार हेतु निर्मित अनेक कानूनों और आंदोलनों के बाद भी नारी को सशक्त और अधिकारसम्पन्न बनाने के विचार बहुत पुराने नहीं है। भारतीय संविधान में पुरुषों व महिलाओं को समान दर्जा और अधिकार प्रदान करना, 08 मार्च महिला दिवस, वर्ष 2001 महिला अधिकारिता वर्ष, महिला दशक, राष्ट्रीय महिला आयोग और पंचायतों में महिला आरक्षण के बाद 'राष्ट्रीय महिला शक्ति संपन्नता नीति 2001 को बनाना, नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रुप में देखा जा सकता है।

वहीं हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1955, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, दहेज निरोधक अधिनियम 1961 व 1985 वेश्यावृत्ति अपराध अधिनियम 1956, कार्यस्थल पर यौन शोषण रोकने संबंधी अधिनियम तथा घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम 2006 सैद्धांतिक रुप में तो नारी सशक्तिकरण की उद्घोषणा करते प्रतीत होते हैं और इनके परिणामस्वरुप महिलाओं की स्थिति में व्यापक परिवर्तन भी देखे जा सकते हैं। बावजूद इसके इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि विकास और सामाजिक स्तर की दृष्टि से महिलाएं अभी पुरुषों से काफी पीछे हैं और आज भी कमजोर वर्गों में शामिल हैं। अनेकानेक कानूनों और अधिकारिता के बाद भी नारी के प्रति हिंसा और उत्पीड़न अभी थमा नहीं है, वरन् उसके आयामों, स्वरुपों व मात्रा में वृद्धि ही हुई है, समाज में उसकी दोयम स्थिति व सामाजिक स्वीकार्यता के संदर्भ अभी बदले नहीं हैं, घर से बाहर निकलने पर भी घर के भीतर उसके उत्तरदायित्व विभाजित नहीं हुए हैं और व्यापक राजनीतिक व सामाजिक अधिकार अभी उसकी पहुंच से बहुत दूर हैं। इसके साथ और भी अनेक ऐसे संदर्भ हैं जो नारी सषक्तिकरण के लक्ष्य के प्रश्नचिह्न बने हुए हैं।

प्रस्तुत प्रपत्र नारी सशक्तिकरण के विभिन्न अवरोधों और चुनौतियों का विश्लेषण करता है। यदि हम नारी सशक्तिकरण की अवधारणा की बात करें तो इसे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक–सांस्कृतिक संदर्भों से विवेचित कर सकते हैं यानि नारी उन समस्त पहलुओं से सशक्त हो जोकि उसके जीवन और अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि नारी सशक्तिकरण वह अवधारणा है जिसमें नारी भय मुक्त होकर, साधिकार, सहज और सुरक्षित तरीके से उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके जिसे वह पाना चाहती है। इस प्रकार नारी की सबलता, उन्नति व चतुर्मुखी विकास और अधिकारसम्पन्नता ही नारी सशक्तिकरण की प्रमुख पहचान है।

लेकिन यदि हम समाज में महिलाओं की वास्तविक स्थिति पर दृष्टिपात करते हैं तो महिलाओं के उत्पीड़न और उनके प्रति हिंसा की भयावह तस्वीर सामने आती है। गृह मंत्रालय के अपराध पंजीकरण ब्यूरो के वर्ष 2002 की रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में हर घण्टे महिलाओं के खिलाफ 17 आपराधिक घटनाएं होती हैं। हर एक घण्टे में कम से कम दो महिलाएं बलात्कार की शिकार होती हैं, हर घण्टे 04 महिलाओं की इरादतन व 10 महिलाओं की गैर इरादतन हत्या होती है तथा हर रोज 59 महिलाएं/लड़कियां आत्महत्या और 24 महिलाएं दहेज के कारण मौत के मुंह में चली जाती हैं।

नारी उत्पीड़न के विभिन्न स्वरुपों के संदर्भ में –

बलात्कार – महिला उत्पीड़न की सबसे भयावह त्रासदी बलात्कार के रुप में देखी जा सकती है जो महिलाओं व बालिकाओं को न केवल शारीरिक रुप से वरन् मानसिक व सामाजिक रुप से भी आक्रांत करती है। बावजूद इसके पिछले 20 सालों में ऐसी घटनाओं में 400 फीसदी का इजाफा हुआ है। एन0 सी0 आर0 डब्लू0- 2002 की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2002 में बलात्कार के 16373 मामले दर्ज किए गए जिनमें 369 मामले निकट संबंधियों द्वारा बलात्कार के थे। यानि नारी घर में भी सुरक्षित नहीं है।

दहेजहत्या – दहेज भारतीय समाज का एक बहुत ही घिनौना और अमानवीय पक्ष है जिसमें मात्र पैसे और वस्तुओं के लालच में लोग नवयौवनाओं को प्रताड़ित करते हैं और उनकी हत्या तक कर देते हैं। देश में प्रतिदिन 33 महिलाओं की हत्या दहेज के कारण होती है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2002 में दहेज हत्या के 6822 मामले दर्ज किए गए।

कन्या भ्रूण और कन्या शिशु हत्या – देश में महिलाओं का अनुपात निरंतर घटता जा रहा है। देश में 1901 में जहां प्रति हजार पुरुष पर 972 महिलाएं थीं वहीं 1991 में इनकी संख्या मात्र 927 ही रह गई। वर्ष 2001 में यद्यपि यह अनुपात बढ़कर 933 हो गया लेकिन 0.6 वर्ष के आयुसमूह में यह 1991 में 945 के मुकाबले 927 ही रह गया। पंजाब में यह 793 दर्ज हुआ वहीं देश की राजधानी में भी इसमें 50 अंकों की कमी आई जहां यह 1991 के 915 के मुकाबले 865 दर्ज किया गया। लिंग अनुपात में इस कमी का मुख्य कारण निरंतर होने वाली कन्याभ्रूण और कन्याशिशु हत्या है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत अवैध गर्भपात तथा बालिका भ्रूण हत्या के मामले में शीर्ष स्थान पर है। यहां हर वर्ष अप्रत्यक्ष रुप से करीब 50 लाख कन्या भ्रूण हत्या होती है व प्रतिवर्ष 4.5 करोड़ बालिकाएं गायब हो जाती है। एन0 सी0 आर0 डब्लू0- 2002 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2002 मे 84 मामले भ्रूण हत्या व 115 मामले कन्या शिशु हत्या के दर्ज किए गए। 1984 में मुम्बई में एक सर्वेक्षण के अनुसार 8000 भ्रूण हत्या में से 2799 भ्रूण मादा थे।

घरेलू हिंसा – महिलाओं उत्पीड़न का एक भयावह रुप महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के रुप में देखा जा सकता है। घरेलू हिंसा की इस वीभत्सता से महिलाओं को मुक्ति दिलाने हेतु सरकार को घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम लाना पड़ा। एन0 सी0 आर0 डब्लू0. की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2002 में नारी प्रताड़ना के 49237 मामले दर्ज किए गए जोकि 2001 की अपेक्षा अधिक थे। इनमें सर्वाधिक मामले 14.3 % आंध्रप्रदेश में 11.6 % राजस्थान में तथा 11.5% उ0प्र0 में दर्ज किए गए। स्पष्ट है कि घरेलू हिंसा महिला प्रताड़ना के भयानक रुपों में से एक है।

वेश्यावृत्ति व अनैतिक देह व्यापार – नारी अस्मिता के विरुद्ध उत्पीड़न का एक विकृत रुप नारी देह व्यापार और वेश्यावृत्ति के रुप में देखा जा सकता है। एन0 सी0 आर0 डब्लू0. की रिपोर्ट के ही अनुसार, वर्ष 2002 में वेश्यावृत्ति व अनैतिक देह व्यापार के 11242 मामले दर्ज किए गए जोकि पिछले वर्ष की अपेक्षा 27.8 फीसदी अधिक है। इनमें अकेले छत्तीसगढ़ में ही 41.4 फीसदी मामले दर्ज हुए। अनैतिक व्यापार की यह दर राष्ट्रीय आंकड़ों में प्रति लाख जनसंख्या पर 1.1 की तुलना में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 21.9 प्रति लाख पाई गई।

महिला छेड़छाड – वर्ष 2002 में देश में महिला छेड़छाड़ के 33,943 मामले दर्ज किए गए । इनमें मध्य प्रदेश 21% के साथ पहले स्थान पर है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले महिलाओं के

विरुद्ध मानसिक हिंसा और प्रताड़ना को प्रकट करते हैं। फलस्वरुप महिलाओं की सुरक्षा और स्वावलंबन संकट मे ंपड़ जाता हैं।

अपहरण तथा भगा ले जाना – विकृत उद्देश्यों तथा अपराध हेतु महिलाओं का अपहरण तथा उनको भगा ले जाने के मामले भी महिलाओं के लिए कम उत्पीड़क नहीं हैं। लड़कियों के अपहरण तथा भगा ले जाने के 14,506 मामले दर्ज हुए। इनमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, राजस्थान दूसरे तथा बिहार तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन 40 लड़कियों के अपहरण/भगा ले जाने की घटनाएं होती हैं जिनमें 45% लड़कियों की आयु 18 वर्ष से कम होती है।

शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक सशक्तता – शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक संदर्भों में भी महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। देश में महिला–पुरुष साक्षरता अंतर वर्ष 2002 में 21.69 दर्ज किया गया। योजना आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार देश मे ं294 जिले ऐसे हैं जहां एक भी महिला शिक्षित नहीं है। अनेक राज्यों में लड़कियां बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती है। 1999-2000 में राजस्थान, उत्तरप्रदेश, प0 बंगाल व पूर्वी क्षेत्र के कई राज्यों में प्राइमरी स्तर पर पढ़ाई छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या 42 फीसदी थी। जहां तक आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति देखें तो ज्ञात होता है कि कुल महिला जनसंख्या का 22.26% ही विभिन्न रोजगारों में लगा है। गैर सरकारी असंगठित क्षेत्रों में तो महिलाएं दर–दर शोषण की शिकार हैं। एक अध्ययन के अनुसार भारत की वेतनभोगी जनसंख्या में भी महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र छह प्रतिशत ही है। इनमें वरिष्ठ प्रबंधक पद पर वे सिर्फ चार प्रतिशत ही हैं और इनमें भी यदि विरासत में इन पदों को पाने वाली महिलाओं को हटा दिया जाए तो उच्चतम पदों पर आसीन सामान्य महिलाओं की संख्या एक फीसदी से भी कम रह जाती है। सामाजिक संदर्भों में भी अनेक सामाजिक रुढ़ियों से जूझती हुई महिलाएं आज घर से बाहर निकल तो आई हैं लेकिन इसका भी खामियाजा उन्हें अत्यधिक कार्यबोझ अर्थात दोहरी भूमिका को निभाने की अनिवार्यता के रुप में उठाना पड़ रहा है।

महिला शोषण व हिंसा पर व्यापक अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री **राम आहूजा** का मानना है कि 'भारतीय महिला आज भी आर्थिक रुप से पुरुष के प्रभुत्व से मुक्त नहीं है। सामाजिक, नैतिक व मनोवैज्ञानक आयामों में भी उसकी स्थिति पुरुषों के अनुरुप नहीं है और आज भी वह पुरुष प्रभुत्ववादी समाज व्यवस्था के अत्याचार का शिकार है।.....एक बड़ी संख्या में महिलाएं मुक्ति प्राप्त करने में असफल रहती हैं क्योंकि वे परंपरागत नारी जगत के घेरे से बाहर नहीं निकल पातीं। उन्हें न तो समाज से ही और न ही अपने परिवार से ही पुरुषों के समान होने के लिए आवश्यक सहायता मिलती है।

महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में यदि हम हाल ही में राज्य के प्रमुख नगरों विशेषकर आगरा और मेरठ में महिला मेयरों के चयन की बात करें तो यह महिलाओं के सशक्तिकरण को तो दर्शाता है। पर यह सच भी कम कड़वा नहीं है कि उनकी राह इतनी आसान नहीं होती यदि वे कानून द्वारा आरक्षित पद पर न चुनी जातीं।

नारी सशक्तिकरण के विभिन्न प्रयासों और नारी उत्पीड़न के आंकड़ों में असंगतता से यह स्पष्ट होता है कि नारी सशक्तिकरण की प्रकिया निर्बाध नहीं है। अनेकानेक **अवरोध और चुनौतियां** कभी इसकी गति को विराम देती हैं तो कभी लक्ष्य से विमुख करती हैं।

प्रस्तुत प्रपत्र इन अवरोधों व चुनौतियों को नारी के विभिन्न अधिकारों, सामाजिक विसंगतियों, उत्पीड़न के संदर्भों, नारीगत विशिष्टताओं तथा सांस्कृतिक रुढ़ियों और निशिद्धताओं के संदर्भ में परखने का एक प्रयास है। यहां अवरोध उपलब्ध तथ्यात्मक ज्ञान के द्वारा स्पष्ट रुप से दृष्टव्य सामाजिक पहलू हैं

जो नारी सशक्तिकरण की प्रक्रिया में रुकावट डालते हैं। लेकिन यदि हम नारी सशक्तिकरण के प्रयास करते हैं तो इसमें ये अवरोध ही चुनौतियों के रुप में हमारे सामने हैं। जब तक हम इन चुनौतियों का हल नहीं ढूंढेगें, नारी सशक्तिकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना आसान नहीं होगा। इस प्रकार अवरोध तथ्यात्मक वास्तविकता है जबकि चुनौतियां व्यावहारिक संकट। इन अवरोध व चुनौतियों को निम्न संदर्भों में देखा जा सकता है –

स्त्री–पुरुष असमानता – नारी सशक्तिकरण के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा स्त्री–पुरुष असमानता और इस असमानता को दूर करना सबसे बड़ी चुनौती है। बात सामाजिक अधिकारों की हो, आर्थिक अधिकारों की अथवा राजनीतिक अधिकारों की, स्त्रियां हर जगह दोयम स्थिति में है। उन्हें पारिवारिक जीवन में भी निर्णय और नीति–निर्धारण के अधिकार प्राप्त नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, परिवार से लेकर मौलिक अधिकारों तक के क्षेत्र में पिछड़ी हुई हैं। सीमोन कहती हैं कि यदि कानून औरत को बराबरी का अधिकार दे भी दे तो सामाजिकता, नैतिकता और लोक व्यवहार उसके आड़े आ जाते हैं।

असुरक्षा – नारी सशक्तिकरण के मार्ग की एक और बड़ी बाधा व चुनौती स्त्रियों की सुरक्षा का प्रश्न है। नारी कब्र से कोख तक असुरक्षित है। जहां एक ओर अवांछनीय होने के कारण वह जन्म से पूर्व से ही असुरक्षित है अर्थात कोख में भी उसका जीवन सुरक्षित नहीं है। नारी सुरक्षा का यह नवीन संकट है। नारी शिशु हत्या के रुप में पैदा होने के बाद भी असुरक्षित है तो दहेज के नाम पर विवाह के बाद। अपहरण, छेड़खानी और बलात्कार के संदर्भ में तो वह घर और बाहर कहीं भी सुरक्षित नहीं है। यानि नारी के जीवन, उसके सम्मान और अस्मिता की सुरक्षा नारी सशक्तिकरण की एक बड़ी चुनौती है।

आर्थिक पराश्रितता – नारी सशक्तिकरण की एक चुनौती स्त्रियों को आर्थिक रुप से स्वावलम्बी बनाना भी है। सामाजिक पराश्रितता के साथ ही आर्थिक पराश्रितता नारी के जीवन का अभिशाप है। नारी अपने शोषण, उत्पीड़न और अवमानना से तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक कि वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती। और यह इतना आसान नहीं है। पुरुष प्रधान समाज में घर से बाहर निकल कर शिक्षा प्राप्त करना और आत्मनिर्भर बनना अभी भी महिलाओं के लिए कड़ी चुनौती है।

सामाजिक रुढ़ियां – हालांकि अधिकतर धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक मान्यताएं बुनियादी तौर पर स्त्रियों के प्रति अन्याय को बढ़ावा देती हैं किंतु कुछ कुरीतियों ने तो स्त्रियों को इतनी बुरी तरह जकड़ा हुआ है कि उनकी मुक्ति का हर प्रयास व्यर्थ है। अधिकांश धार्मिक रीति–रिवाज स्त्री को कमजोर करने, पुरुष पर निर्भर तथा हीन–भावना से ग्रस्त बनाने में सहायक हैं। इसके अलावा दहेज–प्रथा, बाल विवाह, वैधव्य–रक्षा जैसी अनेकानेक कुरीतियां स्त्रियों के लिए अत्यधिक पीड़ादायक हैं।

नैतिकता का आवरण – नैतिकता का आवरण महिलाओं को शरीर ही नहीं मन से भी कमजोर बनाता है। कोई भी नारी कितनी ही सशक्त क्यों न हो उसे कमजोर करने के लिए हमेषा ही नैतिकता का सहारा लिया जाता है। इस संदर्भ में लेखक सुभाष चन्द्र कहते हैं कि ''जब तक सैक्स को औरत की इज्जत और चरित्र का आधार मानने का दृष्टिकोण दूर नहीं होता तब तक दुराचारी पुरुष उसकी इज्जत लूटने की क्रिया को औरत को कमजोर बनाने के हथियार के रुप में इस्तेमान करते रहेंगे।'' वस्तुतः नैतिकता को महिला के शरीर के संदर्भों से अलग किए बिना नारी सशक्तिकरण संभव नहीं है।

स्त्रियों की छवि और दोहरे सामाजिक मूल्य – नारी की छवि भी नारी सशक्तिकरण के मार्ग की एक बाधा है। मीडिया की सहायता से एक ओर तो नारी मानसिकता में आधुनिकता की चेतना आ रही है, वहीं दूसरी ओर यही माध्यम स्त्री की परंपरागत छवि को भी पुष्ट करते हैं। इसके अंतर्गत वह निहायत घरेलू, अन्याय को चुपचाप सहने वाली, रसोई और बच्चों के पालन तक सिमटी, सुहाग की अवधारणा से

लिपटी तथा साज–श्रृंगार में उलझी नारी के रुप में चित्रित की जाती है। विज्ञापनों में भी जहां एक ओर नारी को घर के बाहर कार्य करते हुए आकर्षक, उत्तेजक, वस्तु समान तथा सबको खुश रखकर चलने वाली महिला के रुप में दिखाया जाता है वहीं दूसरी ओर घर में आने के बाद घर के समस्त कार्यों को प्रसन्नतापूर्वक करते हुए ऐसे दिखाया जाता है जैसे स्त्री इंसान न होकर कोई मशीन हो। विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में वह सुपरवीमैन की तरह परिभाषित की जाती है। मीडिया द्वारा गढ़ी जाने वाली स्त्रियों की ये छवि उसके वास्तविक जीवन में काफी दुखदायी होती है क्योंकि इन विज्ञापनों को देखने वाले परिजन अपने घरों में भी महिलाओं से ऐसी ही भूमिकाओं की उम्मीद करते है। मीडिया, धर्मग्रन्थों तथा पुस्तकों–पत्रिकाओं द्वारा गढ़ी गई आदर्श या अश्लील छवियां नारी के जीवन को दुष्कर बनाती हैं।

कानूनी संरक्षण और जागरुकता का अभाव – नारी सशक्तिकरण हेतु यद्यपि सरकार द्वारा अनेकानेक कानूनों का निर्माण किया गया है, लेकिन अशिक्षा और जागरुकता के अभाव में स्त्रियों को इनका समुचित लाभ नहीं मिल पाया है। इतना ही नहीं सामाजिक नियम, संस्कार और बदनामी के भय से शिक्षित और सम्पन्न परिवारों तक की महिलाएं इन कानूनों का सहारा नहीं लेती हैं। जबकि कई बार पुलिस और प्रशासन इस संदर्भ में महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं दिखता है।

शोषण की निरंतरता व नवीन आयाम – नारी शोषण शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व सामाजिक संदर्भों में देखा जा सकता है। नारी शोषण के परंपरागत रुपों यथा हत्या, बलात्कार, मारपीट, मानसिक प्रताड़ना, वेश्यावृत्ति तथा सामाजिक व धार्मिक निर्योग्यताओं के साथ ही अब नारी शोषण के नवीनतम रुप भ्रूण हत्या, नारी देह का व्यावसायिक दुरुपयोग, दोहरा कार्यबोझ तथा दोहरे सामाजिक मूल्यों को भी देखा जा सकता है। यानि नारी शोषण में कमी आने की बजाय नारी शोषण में वृद्धि ही हुई है। इसलिए नारी को शोषण मुक्त करना नारी सशक्तिकरण के लिए एक बड़ी चुनौती है।

दोहरा कार्यबोझ – आर्थिक निर्भरता नारी सशक्तिकरण के मार्ग में एक बहुत बड़ा सहायक तत्व है, लेकिन यह स्थिति उस समय नारी के लिए कष्टदायी हो जाती है, जबकि घर से बाहर जाकर काम करने के बावजूद घर के अंदर एक सामान्य गृहणी की तरह किए जाने वाले कामों में स्त्री के लिए कोई कटौती नहीं होती। कामकाजी पत्नी के हर माह मोटा वेतन लाने के बाद भी पति उससे परंपरागत पत्नी की तरह सेवा और घर के सारे काम–काज निपटाने की अपेक्षा करता है। जिसे देखते हुए ऐसा लगता है कि नारी स्वतंत्रता और आर्थिक निर्भरता के एवज में अपना शारीरिक और मानसिक बोझ बढ़ा रही है। वस्तुतः यह दोहरा कार्य बोझ नारी की शक्ति को क्षीण करता है। नारी सशक्तिकरण के लिए पारिवारिक कार्यों का बंटवारा एक बड़ी चुनौती है।

मातृत्व के संदर्भ – मातृत्व स्त्री के लिए वरदान है किंतु इसे भी बेड़ी के रुप में इस्तेमाल करके बहुधा उसका शोषण किया जाता है। मातृत्व भाव स्त्री को दुर्बल बनाता है। वह अपनी सारी गतिविधियों का संचालन बच्चे के हित को केन्द्र में रख कर करती है। मातृत्व के ये संदर्भ नारी को कमजोर बनाते हैं। जहां एक ओर बच्चे के लालन–पालन का नैतिक दायित्व महिलाओं पर डाल दिया जाता है, वही उनके बच्चों के हित उन्हें अपने कैरियर के संदर्भ में तमाम समझौते करने के लिए भी विवश किया जाता है। कई बार आर्थिक रुप से सम्पन्न तथा कई बार संकीर्ण मानसिकता से ग्रस्त परिवार विवाह के साथ ही लड़की को अपनी नौकरी छोड़ने की अनिवार्यता कर देते है। वे लड़की की नौकरी को सिर्फ आमदनी का साधन बताते हैं और उसकी आवश्यकता न होने पर नौकरी की अनुमति नहीं देते हैं। भले ही वह कितने ही अच्छे पद पर क्यों न हो। यही नहीं जब महिलाएं लड़के के बजाय लड़की को जन्म देती हैं तो उन्हें अपमान

और प्रताड़ना का षिकार होना पड़ता है। बच्चे पर संकट की धमकी देकर स्त्री के ममत्व को ब्लैकमेल भी किया जाता है। इस प्रकार मातृत्व स्त्री के अधिकारों और क्षमताओं को भी कम करता है।

उत्पीड़न, शोषण और अशक्तता की स्वीकृति – नारी के द्वारा स्वयं ही नारी उत्पीड़न, शोषण और अशक्तता को स्वीकार करना सशक्तिकरण के मार्ग की एक बड़ी बाधा है। कई बार विवशता में तो कई बार अपनी छवि को बनाए रखने के प्रयत्न में महिलाएं उत्पीड़न की अनेकानेक स्थितियों को सामान्य सामाजिक व्यवहारों के रुप में लेती हैं। वे एक आदर्श बेटी, बहू या पत्नी बनने के चक्कर में स्वयं ही पुरुषों के उत्पीड़क व्यवहारों व अपनी अशक्तता के संदर्भों को स्वीकृति प्रदान करती हैं। जब तक स्त्रियां आत्म प्रशंसा के इस मोह से बाहर नहीं निकलतीं, नारी सशक्तिकरण बेमानी है।

वस्तुतः उपरोक्त समस्त अवरोध नारी सशक्तिकरण के मार्ग की वे बाधाएं और चुनौतियां है जिनका यदि हम निराकरण नहीं करते हैं तो नारी की मुक्ति और उसके सशक्तिकरण के सारे प्रयास विफल ही रहेंगे।

निष्कर्ष रुप में कहा जा सकता है कि अब तक नारी के उत्थान और सशक्तिकरण की दिशा में काफी प्रयत्न किए गए हैं। आवजूद इसके महिलाओं की स्थिति और खराब हुई है तथा उनके उत्पीड़न में वृद्धि ही हुई है। अनेकानेक आंकड़े इस तथ्य की पुष्टि करते हैं।

प्रयासों और आंकड़ों की असंगतता स्पष्ट करती है कि नारी सशक्तिकरण के मार्ग की सबसे बड़ी बाधाएं सामाजिक और नैतिक बाधाएं हैं जिन्हें हम उपरोक्त संदर्भों में देख सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ :

1. Ahuja, Ram. 1997. *Crime against women*. Jaipur; Rawat Publications
2. Chandra, Subhash.1999. *Bhartiya Nari; Kitni jitee Kitni Hari*. Delhi: Anil Prakasha
3. De Beauvoir, S. 1964. *The Second Sex*, New York; Bantam Books.
4. Friedan, B. 1963. *The Feminine Mystique*, New York; W.W. Norton.
5. Crime in India – 2002, *Report of Home Ministry*. Department of Women & Child Development, Government of India. By National Resource Center.